न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 35 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
भंवरसिंह पुत्र हमीरसिंह का.मु. 1. राजुसिंह पुत्र भंवरसिंह 2. सुमेरसिंह पुत्र भंवरसिंह 3. संगीतकंवर पुत्री भंवरसिंह 4. दीपसिंह पुत्र भंवरसिंह 5. मीमाकंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी मण्डली तहसील कल्याणपुर जिला बाड़मेर	1. भोपालसिंह पुत्र रतनसिंह 2. शैतानसिंह पुत्र रतनसिंह 3. महेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह 4. आम्वसिंह पुत्र रतनसिंह 5. सायरकंवर पत्नी रतनसिंह 6. जवरसिंह पुत्र हमीरसिंह जाति राजपूत निवासी मण्डली तहसील कल्याणपुर जिला बाड़मेर 7. शाखा प्रबन्धक टी ए जी बी बैंक शाखा मण्डली 8. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार कल्याणपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 89 / 2020 बअनवान भोपालसिंह वगै. बनाम भंवरसिंह वगै. में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 04.03.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री राणाराम गौड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री लाधूराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01, 03 व 04 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 14.09.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ। मौजा मण्डली तहसील कल्याणपुर के खेत खसरा नम्बर 159 मौजा 22.10 बीघा संयुक्त खातेदारी में आया हुआ है। जिसमें वादीगण का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

संख्या 1/1 से 1/5 का 1/2 हिस्सा एवं शेष 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 का विधिनुसार बनता है तथा इसी अनुरूप वादीगण एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त खेतों पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा हिस्से खुले हुए न होने के कारण तकाजा रहता है इस कारण हस्तगत वाद पेश किया। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया जिस पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर हल्का पटवार व आर आई से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु कहा गया जिस पर हल्का पटवारी व आर आई ने उतरदाता के साथ मिलीभगत करते हुऐ मौके पर पक्षकारान के मध्य हुऐ बाहामी बंटवाडे व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरित विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांट से आपति लिये विना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलव किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार कल्याणपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को बिना पूर्व सूचना के आर.आई द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरित तैयार किया गया, जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है तथा एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर अपीलांट व उसके अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर एतराज करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु निवेदन किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस की आपति को विधि विरूद्ध जाकर खारिज किया गया। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायाल में पेश किया गया। यह वंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01,03 व 04 ने वहस करते हुए वताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। रेस्पोडेंटस अपीलाधीन आराजी का सदभावी खातेदार है। हिस्सों को लेकर अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलांटस द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर वंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन वरावर–वरावर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की वहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में वहस सुनने के पश्चात पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटगण द्वारा वार–वार आपति जताई और अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर की गई आपति पर सुनवाई कर आपति के आवेदन को खारिज किया गया। अन्तिम वार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव वाकायदा भूमिधारक तहसीलदार कल्याणपुर स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे

राजस्व अपील प्राधिकारी
वाड़मेर

को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर दिनांक 04.03.2022 को अंतिम डिक्री जारी की गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए तहसीलदार कल्याणपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 89/2020 बअनवान भोपालसिंह वगै. बनाम भंवरसिंह वगै. में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 04.03.2022 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पालीनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 14.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर